प्रेस नोट दिनाँक- 30.11.2023

(1). आज दिनाँक 30.11.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया । पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी ।

(2). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 30.11.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर/लाइन्स श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के तहत सार्वजनिक स्थलो जैसे- चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है ।

(3). पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय के पर्यवेक्षण में चौकी प्रभारी जिला कारागार रगौली श्री राजीव कुमार सिंह द्वारा चोरी की घटना का अनावरण करते हुये 01 चोर को चोरी के 3200/- रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 29.09.2023 को वादी श्री जन्मेजय सिंह पुत्र ऊदल सिंह निवासी कसहाई रोड तुलसी नगर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली कर्वी मे सूचना दी थी कि अज्ञात चोर ने उनके भाई के घर से नगदी व जेवरात चोरी कर लिये हैं। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 598/2023 धारा 380,457 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी द्वारा घटना के अनावरण हेतु चौकी प्रभारी जिला कारागार रगौली को निर्देशित किया गया था। चौकी प्रभारी जिला कारागार रगौली द्वारा अथक प्रयास करते हुये दिनाँक 29.11.2023 को विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त शुभम त्रिपाठी उर्फ शीबू पुत्र बाबूलाल निवासी शंकरबाजार बनकट रोड थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को चोरी के 3200/- रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया। चोरी के रुपये बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि के बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

शुभम त्रिपाठी उर्फ शीबू पुत्र बाबूलाल निवासी शंकरबाजार बनकट रोड थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

बरामदगीः-

चोरी के 3200/- रुपये

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. चौकी प्रभारी जिला कारागार रगौली श्री राजीव कुमार सिंह
2. आरक्षी संजय पाल

(4). आज दिनाँक 30.11.2023 को पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला की अध्यक्षता में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की उपस्थिति में पुलिस विभाग में अपनी सेवा पूर्ण करने वाले अधिकारीगण की विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा सेवानिवृत हो रहे उ0नि0 श्रीमती सरोज मिश्रा व उ0नि0 श्री राकेश कुमार त्रिपाठी को माला पहनाकर, प्रशस्ति-पत्र एवं उपहार प्रदान कर भावभीनी विदाई दी गयी। इस दौरान सेवानिवृत हो रहे अधिकारी/कर्मचारीगणों, उनके परिवारीजनों एवं मौके पर उपस्थित अधिकारी/कर्मचारीगण को हल्का नास्ता करवाकर मुंह मीठा कराया गया। पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा सेवानिवृत हो रहे अधिकारीगण से कहा गया कि वह घर जाकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें एवं निरन्तर व्यायाम करते रहें, अपने जीवन का अमूल्य समय विभाग को दिया है, मैं समस्त पुलिस विभाग की ओर से आपके सुखद जीवन एवं परिवार की तरक्की की मनोकामना करता हूं।

इस दौरान प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण, पीआरओ श्री गुलाब त्रिपाठी एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजेश कुमार द्विवेदी एवं

पैरोकार मुख्य आरक्षी आनन्द कुमार तथा मॉनीटरिंग सेल प्रभारी श्री जय प्रकाश उपाध्याय तथा उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो चित्रकूट श्री तेजप्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायधीश पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश श्री विनीत नारायण पाण्डेय द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं द्वारा थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 157/2015 धारा 377 भादवि0 ¾ पॉक्सो के आरोपी अभियुक्त लाली पुत्र वीरन निषाद निवासी शिवपुर थाना मऊ जनपद चित्रकूट 20 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

<u>घटना का विवरणः-</u>

दिनाँक 03.08.2015 को थाना मऊ में पीड़ितों के पिता द्वारा सूचना दी गयी थी कि लाली उपरोक्त अभियुक्त द्वारा वादी के नाबालिक पुत्रों के साथ कुकर्म किया है। सूचना के आधार पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 157/2015 धारा 377 भादवि0 व ¾ पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त लाली उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्रीमती रीता सिंह द्वारा मुकदमें की विवेचना की गयी थी। दिनाँक 13.08.2015 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं दिनाँक 04.09.2015 को आरोपी के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।

(6). आज दिनाँक 30.11.2023 को यातायात माह नवम्बर 2023 के समापन के अवसर पर संत थॉमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल चित्रकूट खुटहा शिवरामपुर में मुख्य विकास अधिकारी सुश्री अमृतपाल कौर की अध्यक्षता में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी यातायात श्री राज कमल, पीटीओ श्री सन्तोष तिवारी की उपस्थिति में यातायात जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी महोदया, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। इस दौरान विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने ओवर स्पीड एवं शराब पीकर वाहन चलाने के विषयों पर नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की गयी।

इस दौरान मुख्य विकास अधीकारी महोदया, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं क्षेत्राधिकारी यातायात महोदय द्वारा छात्र-छात्राओं को सम्बोधित करते हुये सभी को यातायात नियमों का पालन के लिये जागरुक किया गया। इस दौरान छात्रों को बताया गया कि आप सब समाज के सूत्रधार हैं इसलिये आप घर पर जाकर अपने परिजनों एवं रिश्तेदारों को यातायात नियमों के पालन करने के लिये जागरुक करें। सभी को बताया गया कि 04 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट एवं 02 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य लगायें।

दौरान टीएसआई श्री शैलेन्द्र सिंह, टीएसआई श्री धर्मेश त्रिपाठी, स्कूल के प्राचार्य डेनिस मस्करहेन्स (फादर), उप प्राचार्य सी जी जोसेफ, शिक्षक स्टाफ एंव यातायात पुलिस के अन्य कर्मचारीगण उपस्थिति रहे तथा कार्यक्रम का संचालन पायनिर्यस क्लब अध्यक्ष एवं रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव श्री केशव शिवहरे द्वारा किया गया।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री श्याम प्रताप पटेल एवं पैरोकार आरक्षी मनीष कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार यदव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय सिविल जज जूनियर डिवीजन सुश्री विदुषी मेहा द्वारा थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 242/2007 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त बालगिरी पुत्र इन्द्रपाल निवासी पिपरोदर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट जेल में बिताई गयी अवधि तथा 500 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनाँक 27.10.2007 को थाना पहाड़ी में नियुक्त उ0नि0 श्री मोहम्मद मुस्तिम तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त बालगिरी उपरोक्त को कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरणो के साथ गिरफ्तार किया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 242/2007 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम बनाम अभियुक्त बालगिरी उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमें की विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री देशराज सिंह द्वारा मुकदमें की विवेचना की गयी थी एवं दिनाँक 20.01.2009 को आरोपी के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।